प्रेस नोट- थाना रोजा
जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक 05.12.25

"जनपदीय SOG, सर्विलांस सेल टीम व थाना रोजा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा जीएसटी की बोगस फर्म बनाकर 10 करोड़ 77 लाख रुपयें की कर चोरी करनें वालें गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 03 नफर अभियुक्त को भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज़ व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ किया गया गिरफ्तार"

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व चिन्हित किये गये अपराधियों/ वांछित/ वारण्टी व रोकथाम मादक पदार्थ/अवैध शराब शस्त्र, बिक्री- निर्माण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी अपराध के कुशल पर्यवेक्षण व प्रभारी गैंगस्टर सेल जनपद शाहजहांपुर के कुशल नेतृत्व में जनपदीय SOG, सर्विलांस सेल व थाना रोजा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा बोगस जीएसटी फर्म बनाकर 10 करोड़ 77 लाख रुपयें की कर चोरी कर व्यापारियों को I.T.C. का लाभ पहुंचाने वालें गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। गिरोह सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों को लोन दिलाने का प्रलोभन देकर उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल आदि प्राप्त करता था तथा इनके आधार पर फर्जी हस्ताक्षर कर कूटरचित रेंट एग्रीमेंट तैयार कर बोगस जीएसटी फर्म बनाता था तथा इन फर्मों के नाम से बैंको में करंट खाते खुलवाकर बड़े पैमाने पर धनराशि का फर्जी लेन-देन कराकर टैक्स चोरी कराता था।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 28/05/2025 को वादी मुकदमा श्री भावना चन्द्रा सहायक आयुक्त राज्य कर द्वारा थाना रोजा पर फर्जी जीएसटीम फर्म बनाकर जीएसटी चोरी कर राजस्व क्षति पहुंचानें वालें व्यक्तियों के विरूद्द थाना रोजा पर मु0अ0सं0 313/2025, धारा 318(2)/318(4)/336(3)/338/340(2) BNS एवं 132 GST ACT पंजीकृत कराया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एंव विवचेना का गुणवत्तापरक व यथाशीघ्र निष्पक्ष विधिक निस्तारण कराए जानें हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया तथा विवचेना निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह प्रभारी गैंगस्टर सेल के सुपुर्द की गई। विवेचना के क्रम में दिनांक 05/12/2025 को जनपदीय SOG, गैगस्टर सेल प्रभारी , सर्विलांस सेल व थाना रोजा की संयुक्त पुलिस टीम तलाश वांछित अभियुक्त की पतारसी सुरागरसी व गिरफ्तारी हेतु हथौड़ा चौराहे पर मामूर थी, तभी मुखबिर की सूचना बोगस जीएसटी फर्म बनाने वाला गिरोह के कुछ व्यक्ति काले रंग की महिन्द्रा XEV-9E कार से लखनऊ की ओर से आने वाले हैं तथा अपने वकील से मिलने वाले हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने अटसलिया पुल के पास घेराबंदी कर काली महिन्द्रा कार संख्या DL10CZ9673 को रोककर उसमें सवार तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। जिसकी तलाशी से भारी मात्रा में कूटरचित प्रपत्र व इलैक्टोनिक डिवाइस व प्रपत्र तैयार करनें के लिए प्रयोग में लाए जानें वालें उपकरण टैब व सीपीयू, हार्ड डिस्क , पैन ड्राईव, भारी मात्रा में एटीएम कार्ड , महंगी कार व मोबाईल फोन बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त लोगों को लोन दिलानें के लिए सोशल मीडिया पर विज्ञापन निकालते थे तथा धोखा देकर लोगों से उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड , बिजली का बिल प्राप्त कर फर्जी रेन्ट एग्रीमेंन्ट तैयार कर बोगस जीएसटी फर्म तैयार करके फर्म के नाम से बैंक अकाउंट खुलवाकर व्यापारियों को जीएसटी चोरी करके लाभ पहुंचातें थे तथा मोटा कमीशन प्राप्त करतें थे। जिनसें अपनें शौक पूरा करते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना रोजा

जनपद शाहजहांपुर पर मु0अ0सं0 313/2025,धारा 318(2)/318(4)/336(3)/338/340(2) BNS एवं 132 GST ACT अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने की विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1.गौरव यादव पुत्र गजराज यादव, उम्र करीब 35 वर्ष निवासी व्हाइट हाउस अपार्टमेंट, सेक्टर 11, रोहिणी दिल्ली

2.सिद्धार्थ पाण्डेय पुत्र गोपाल कृष्ण पाण्डेय, उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम टिकरा थाना नवाबगंज, प्रयागराज

3.दीपक पुत्र पीताम्बर शाह, उम्र करीब 32 वर्ष निवासी समयपुर बादली थाना समयपुर बादली दिल्ली

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान:-

दिनांक 05.12.2025 को समय करीब 06.41 बजे अटसलिया फ्लाईओवर से पहले लखनऊ की तऱफ, थाना रोजा शाहजहाँपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0सं0 313/2025, धारा 318(2)/318(4)/336(3)/338/340(2) BNS एवं 132 GST Act थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर

अपराध करने का तरीका:-

अभियुक्त गौरव यादव उपरोक्त ने बताया कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को लोन दिलाने का विज्ञापन देते है, जो व्यक्ति हमसें लोन प्राप्त करनें के लिए संपर्क करते है। वह हमसे whatsapp व निजी रूप से संपर्क करते है हम उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल धोखे से प्राप्त कर लेते है, हम उन लोगों के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर फर्जी रेन्ट एग्रीमेन्ट तैयार करके उन्हे असली रूप में प्रयोग कर बोगस जीएसटी फर्म बनाते है तथा फर्मों के नाम से बैंक में करंट खाता खुलवाते है। बोगस जीएसटी फर्मों का हम एक चैन बनातें है ताकि हम जीएसटी अधिकारियों की पकड में न आ सकें और **इन फर्जी फर्मों में जीएसटी 2ए में खरीद दिखाकर टैक्स बनाया जाता है तथा R-1 में फर्जी बिल बनाकर बिक्री दिखाकर उस टैक्स को असली व्यापारी को लाभ पहुंचाया जाता है। जबकि असल में कोई सामान व्यापारी को नही दिया जाता है फर्जी बिल जीएसटी पोर्टल पर बिल अपलोड किये जाते है जिससें कि जीएसटी पोर्टल व्यापारी की ITC दिखाई देने लगती है इस तरह से करोडों रुपयों के फर्जी बिल के माध्यम से I.T.C. पास हो जाती है। कुछ व्यापारी असली माल खरीदे बिना फर्जी बिलों के आधार पर ITC ले लेते है जिससें उनकी टैक्स लायबिलिटी कम दिखती है। कुछ व्यापारी अपना टर्नओवर नकली बिलों से ज्यादा दिखातें है जिससें बैंक लोन में फायदा मिलता है और सप्लायर की क्रेडिट सीमा ज्यादा हो जाती है। इस तरह से ये ITC से लाभ प्राप्त करते है।** इस तरह से व्यापारियों से हमें अच्छा प्रतिशत पर कमीशन मिल जाता है और इस तरह से हम लोग सरकार से टैक्स चोरी करते है। हम बिना आईडी के सिम बेचनें वालों से एक्टीवेट सिम अधिक रुपयें देकर प्राप्त करते है और उसे जीएसटी फर्म बनानें व बैंक खाता खुलवाते समय प्रयोग करतें है। इस काम में कुछ बैंक कर्मचारी भी मदद करतें है। अब तक जो बोगस फर्म में आईडी लगी हुई है वह पढनें वालें बच्चों , नौकरी करनें वालें व बस में ड्राईवर व परिचालक की है।

बरामदगी का विवरण:-

इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस

- 02 आई फोन 17 प्रो मैक्स कीमत करीब 3.5 लाख रुपये
- 05 मोबाइल फोन एंड्रॉयड 01 सैंमसंग Z फोल्ड 7, 01 सैमसंग S25 ULTRA कीमत करीब 4 लाख रुपये
- 01 की-पैड मोबाइल
- 02 टैबलेट (01 APPLE I-PAD, 01 MI TAB कीमत लगभग 2.5 लाख)
- 01 सीपीयू INTEX

- 01 हार्ड डिस्क
- 02 पेन ड्राइव (HP, Sandisk)

फर्जी/कूटरचित दस्तावेज़

- 200 फर्जी रेंट एग्रीमेंट
- 39 पैन कार्ड की रंगीन छायाप्रति
- पीछे की तरफ 39 आधार कार्ड की रंगीन छायाप्रति
- 13 बैंक खातों के स्टेटमेंट (विभिन्न फर्मों के नाम से)
- बड़ी मात्रा में विजिटिंग कार्ड "S.S. ONLINE SERVICES"
- फर्जी नोटरी मोहर (ATTESTED NOTARY PUBLIC GOVT OF INDIA)
- 05 अन्य मोहर व 01 इंक पैड

अन्य बरामद सामग्री

- वाहन संख्या **DL10CZ9673 महिन्द्रा XEV-9E कीमत करीब 35 लाख रुपयें**
- 39 एटीएम कार्ड (SBI, Canara, ICICI, YES, BOB, IDBI, IDFC, Union Bank आदि के)
- कुल ₹2790 नगद जामा तलाशी से
- 04 वाहन RC अलग अलग वाहन की

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह प्रभारी गैंगस्टर सेल जनपद शाहजहांपुर
2. निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार प्रभारी स्वाट जनपद शाहजहांपुर मय टीम
3. उ0नि0 श्री मनोज कुमार प्रभारी सर्विलांस सेल जनपद शाहजहांपुर मय टीम
4. उ0नि0 श्री जगत सिंह गैंगस्टर सेल
5. उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह थाना रोजा जनपद शाहजहांपुर
6. हे0का0 नरेश थाना रोजा शाहजहांपुर

शाहजहाँपुर पुलिस ऐसे साइबर/फाइनेंशियल फ्रॉड गिरोहों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाए हुए है और आमजन से अपील है कि किसी भी प्रकार के लोन/जॉब/ओटीपी/बैंक खाते से संबंधित ऑनलाइन प्रलोभन से सतर्क रहें।